न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री कन्हैयालाल स्वामी, आर.ए.एस

अपील संख्या 120/2017

जगराजसिंह पुत्र गुरदयाल सिंह जाति मजहबी निवासी 74 एन.पी. हाल 73 एनपी–ढाणी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर। —— अपीलार्थी

बनाम

1. ईमरती देवी पुत्री बीरबलराम जाति नायक निवासी 73 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर हाल मीरा चौंक, एस.एस.बी. रोड, गली नं. 4 श्रीगंगानगर।
2. अरविन्द कुमार पुत्र गणेशाराम जाति नायक निवासी 73 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर। ——रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 रा.का.अ.1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर दिनांक 01.08.2017

उपस्थिति :–

श्री परमजीत सिंह मेहरा अभिभाषक अपीलार्थी

श्री अजय धारणीयां अभिभाषक रेस्पों. सं. 1, 2

श्री वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांकः 10/1/19

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/रेस्पों. सं. 1 ने एक वाद उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के समक्ष पेश किया जिसके साथ राज.काश्त.अधि. की धारा 212 का पेश कर कथन किया कि चक 73 एन.पी. के मु.नं. 9 के कि.नं. 25 में 0.202है. भूमि पर प्रार्थीया का कब्जा काश्त है। उक्त भूमि के सम्बन्ध में अप्रार्थी सं. 1 को इस आशय से पाबन्द किया जावे कि वह वाद के निर्णय तक कोई निर्माण कार्य नहीं करें, रहन बैय नहीं करें तथा रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अप्रार्थी सं. 1 ने जबाब प्रा.पत्र पेश कर प्रा.पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर कैम्प रायसिंहनगर

अधी. न्यायालय ने सुनवाई करने के पश्चात प्रा.पत्र स्वीकार कर विवादित भूमि के मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति रखने के आदेश दिये। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि से अप्रार्थी सं. 1 का कोई सम्बन्ध नहीं है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने, बिना पक्षकार बनाये पारित किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रा.पत्र अप्रार्थी से मिलकर अपीलांट को तंग व परेशान करने के लिए पेश किया है। अपीलांट द्वारा विवादित भूमि जरिये बैयनामा खरीद की गई है। अपील पेश करने की अनुमति बाबत प्रा.पत्र धारा 96 सीपीसी पेश किया है जो स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि के मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति रखने के आदेश दिये हैं जिससे किसी भी पक्षकार को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलांट द्वारा अपील पेश करने की अनुमति बाबत प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पेश कर जो तथ्य अंकित किये हैं उन्हें दृष्टिगत रखते हुए प्रा.पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है अधी. न्यायालय ने विवादित भूमि के रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति रखने के आदेश दिये हैं जिसमें न्यायालय के विनम्र मतानुसार किसी भी पक्षकार को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने से अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 10/1/19 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कन्हैयालाल स्वामी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर कैम्प रायसिंहनगर